



# उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं.  
Ref. No.

77047

/सी-3/NOC-172/मुजफ्फर/2009-10

दिनांक  
Date

10-12-10

सेवा में

मुख्य महाप्रबंधक(पंचम)  
कन्सल्टेशन एण्ड डिजाइन सर्विसेज,  
उ0प्र0 जल निगम,  
टी.सी.-38-बी, विन्धुति खण्ड, गोमती नगर,  
सखनऊ।

**विषय-** जिला मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित सीनेटरी लेण्डफिल एण्ड कम्पोस्टिंग परियोजना को पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टि से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन।

**महोदय,**

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदन पत्र दिनांक 09.10.09 का संदर्भ लें। सन्दर्भित आवेदन पर विचार किया गया है। संस्था को पर्यावरणीय प्रदूषण की दृष्टिकोण से निम्नलिखित शर्तों के समुचित अनुपालन के साथ सशर्त अनापत्ति स्वीकृत की जाती है।

- अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्नलिखित शिष्ट विवरणों के लिए ही निर्गत किया जा रहा है।  
(क) स्थल-खसरा नं०-3043, 3044, 3045/1, 3045/2, 3046, 3047, 3048, 3049, 3051, 3057, 3058, 3082/1, 3082/2, 3084/1, 3084/2, 3085, 3086, 3087 कुल क्षेत्रफल 5.623 हेक्टेयर  
ग्राम-ग्राम किदवई नगर के पास मौजा मुजफ्फरनगर(बाहर हद्द), तहसील-सदर, जनपद-मुजफ्फरनगर।  
(ख) प्रस्तावित परियोजना- सीनेटरी लेण्डफिल तथा कम्पोस्टिंग- 120 टन/दिन नगरीय ठोस अपशिष्ट
- स्टेट लेविल इन्चार्जमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट एथारिटी, उ0प्र0 द्वारा ग्राम-खुजदु, मुजफ्फरनगर में सीनेटरी लेण्डफिल तथा कम्पोस्टिंग हेतु क्लीयरेंस प्रदान किया गया था। परियोजना का स्थल ग्राम-मौजा मुजफ्फरनगर(बाहर हद्द), तहसील-सदर, जनपद- मुजफ्फरनगर पर होने के कारण उक्त स्थल पर स्टेट लेविल इन्चार्जमेन्ट इम्पैक्ट असेसमेन्ट एथारिटी, उ0प्र0 से क्लीयरेंस प्राप्त होने पर ही यह अनापत्ति प्रमाण पत्र विधि मान्य होगा।
- सीनेटरी लेण्डफिल तथा कम्पोस्टिंग नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाये।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट का एकत्रण, परिवहन आदि नगरीय ठोस अपशिष्ट नियम-2000 के प्राविधानों के अनुसार किया जाय।
- बोर्ड द्वारा नगर पालिका परिषद, मुजफ्फरनगर को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण)समक अधिनियम-1977 के अन्तर्गत जारी बीलक पत्रांक-829/70वा0परि0 मुजफ्फरनगर/09 दिनांक 15.10.09 द्वारा जारी वनराशि रु० 2,63,37,283.35 (रुपये दो करोड़ तिरसठ लाख सत्तावन हजार दो सौ तिरासी पैसे पचपन मात्र) का भुगतान विनम्रतम एक माह में किया जाय। अन्यथा अनापत्ति प्रमाण पत्र रिवोक किया जा सकता है।
- परियोजना स्थल के चारों तरफ कम से कम 33 प्रतिशत भूभाग में हरित पट्टिका की स्थापना की जाये।

